



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

आर.ई.ओ.- 185

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे० 12/4 जोधपुर, दिनांक 21-07-2010

आदेश


विषय :- भविष्य में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

भविष्य में कृषि विद्युत कनेक्शन करने के संबंध में राज्य सरकार ने शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 12 (10)/ऊर्जा/2006 दिनांक 25.5.2010 एवं दिनांक 28.6.2010 द्वारा निर्देश प्रदान किए थे तथा इस कार्यालय के पत्रांक 763 दिनांक 28.05.2010 द्वारा तत्सम्बंधी आर.ई.ओ-182 भी जारी किया गया था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुसूची-7 के संशोधन-2 दिनांक 10.7.2009 के अनुसार 15 किलोवाट से अधिक क्षमता के पम्प सेट वर्तमान में एनर्जी लेबलिंग योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। अतः इस संबंध में किसानों की कठिनाईयों को देखते हुए दिनांक 25.05.2010 से पूर्व जारी मांगपत्रों के सदर्थ में उक्त परिपत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों में आंशिक छूट प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि :-

15 किलोवाट से अधिक क्षमता के थ्री स्टार रेटिंग के पम्प सेट उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषकों को ऐसे पम्प सेट लगाने से छूट दे दी जाये।

अतः उक्त निर्णयों की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

आदेशानुसार,


(के.आर.मेहता)

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. मुख्य / संभागीय अभियन्ता (जो.स.-द्वितीय/जो.स.प्रथम/बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
5. उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, (ए एण्ड आर/...../.....) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा./सर्तकता/आई एण्ड एम/आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू /वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाडमेर/बीकानेर /जैसलमेर /चुरु / श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़
9. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
11. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संघा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
13. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।